

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१६

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह एक अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "तीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पचास हजार रुपए", शब्द "सत्ताईस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस हजार रुपए", शब्द "पच्चीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "चालीस हजार रुपए" और शब्द "बीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पैंतीस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ४ का स्थापन.

"४ (१) मुख्यमंत्री को पचपन हजार रुपए, प्रत्येक मंत्री को पैंतालीस हजार रुपए, प्रत्येक राज्य मंत्री को चौतीस हजार रुपए तथा प्रत्येक उप मंत्री और संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

(२) मुख्यमंत्री को पचास हजार रुपए, प्रत्येक मंत्री को पैंतीस हजार रुपए, प्रत्येक राज्य मंत्री को इकतीस हजार रुपए और प्रत्येक उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक राज्य मंत्री, प्रत्येक उप मंत्री तथा प्रत्येक संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास और राज्य के बाहर दो हजार पांच सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल के वर्षों में मुद्रास्फीती को देखते हुए, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव का वेतन, सत्कार भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ३० मार्च, २०१६.

लालसिंह आर्य

भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड २ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये ३,००,००,०००/- (रुपये तीन करोड़) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

